

*closed**(online)***IN THE COURT OF THE CERTIFICATE OFFICER AT GHATSILA.**Certificate Case No - *384/B1/C124/22-23*

Schedule XL III High Court N. (J) (Old) (M) (964)

FORM OF ORDER SHEET**BANK OF INDIA,
GOHALDANGRA**

-Verses-

**SMT. LAKHIMANI HANSDA,
W/O SHYAM CH. HANSDA,
VILL.- BARTOLIA,
P.O.- PITAJURI,
P.S.- SHYAMSUNDERPUR,
DIST -EAST SINGHBHUM,
JHARKHAND**

SL. No & Date of Orders	Order with the signature of the Court	Note of action taken on order with date
<i>02/11/22</i>	Seen the requisition filed by Branch Manager B.O.I. Gohaldangra branch. for recovering of Rs.1,04,470.00 (One Lakh Four Thousand Four Hundred Seventy) only...from Smt. Lakhimani Hansda Son/Daughter/wife of Shyam Ch. Hansda, Vill.-Bartolia, P.O.-Pitajuri, P.S.-Shyamsunderpur, Dist.- East Singhbhum, State-Jharkhand on account of Bank Loan/Road Tax/Additional Tax/Scheme Under P.D.R. Act. Also seen the verification report appended on the requisition have satisfied <u>myself</u> that demand is recoverable and the recovery of suit is no barred by law-accordingly the certificate is signed. Advoleran Cost of Rs.4,600.00 have been filed. Enter in register X and issue notice U/s. 7 of the P.D.R. Act Put up record on <i>03.12/22</i> Dictated <i>[Signature]</i> Certificate Officer, Ghatsila.	

28/04/2023

आमलखा आ. - - - - - नापित किया गया है। दैनिक की ओर से एक आवेदन पत्र के माध्यम से वाद के निरुद्ध रु० - 5,000/- (पाँच हजार) मात्र राशि जमा करने हेतु अनुरोध किया गया है।

दैनिक द्वारा दिया गया आवेदन को देखा। दैनिक को तत्काल रु० - 5,000/- (पाँच हजार) मात्र राशि जमा करने हेतु सिंहनि की जाती है।

अनुमंडल नाजिर दैनिक से तत्काल रु० - 5,000/- (पाँच हजार) मात्र राशि जमा लेकर नाजिर रसोई निगत करे। दैनिक नियमित रूप से बकाया राशि जमा करना सुनिश्चित करे।

अभिप्रेत दिनांक - 29/05/2023 को रहे।

लेखापति

अनु० पदावध - सह-
मीलाम पत्र पदावध
घाटशिला।

Deposited Rs. 5000.00 (Five thousand Rupees) only
Under NPL B.No. 130/15-16, NPL No. 486474 dt 28.04.23

28/04/23

29/05/2023
02/03/2023

अभिलेख आज उपस्थित किया गया है। दैनिक की ओर से एक आवेदन पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोंदाल जंजश से लोक अदालत के साथ एक मुस्त समझौता किया गया है एवं बैंक द्वारा दैनिक के नाम से No Dues प्रमाण पत्र निजि किया गया है जो आवेदन के साथ इस न्यायालय में जमा किया गया है परंतु बैंक द्वारा इस न्यायालय में सूचना नहीं दिया गया है।

अतः दैनिक द्वारा दिया गया आवेदन के आलेख से वाद की अग्रतर कार्रवाई स्थगित रखें एवं दैनिक द्वारा दिया गया No Dues प्रमाण पत्र का सत्यता जाँच हेतु तथा वाद की समाप्त करने हेतु अवशेष कोर्ट को इस न्यायालय में जमा के पत्रों को इस न्यायालय में जमा करने के लिए संबंधित बैंक को पत्र लिखें में जें।

अभिलेख दिनांक 30/3/2023 को रखें।

लेखापति

अनु० पदावध
मीलाम पत्र पदावध
घाटशिला।